

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....सहायक कलेक्टर (SDO)..... मुकाम.....

बायत.....बनाम.....जेदारान कोपर.....

किस्म मुकदमा.....^{खुदरा} वा. आ. 997 नं. 65 सन्. 2018
111,128 RLR Ad-

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.2.18	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री..... ^{सु. 11214 Ad.} ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... ^{111,128 RLR Ad-} राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक..... ^{26/2/18} को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायत	
26/02/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगिणों के नोटिस तामिल भुडा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रार्थीगिणों वा कनुड तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एडलरफ्त डायरी प्रमल के लार् जारी है। मल: वास्ते वास्त पत्रावली दिनांक 26/02/18 को पेश है।	
28/02/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगिणों के नोटिस पूर्व के तामिल भुडा प्राप्त है भुडे है। जिनके विरुद्ध एडलरफ्त डायरी प्रमल के लार् जारी, प्रार्थी के अतिरिक्त ही एडलरफ्त वास्त	

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायत

सुनी गईं प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया भी प्रार्थी को अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के चारों ओर पक्के नैष्कर्मिक-पित्त करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नैष्कर्मिकी आवेदन स्वीकार किया जाकर नैष्कर्मिकी आदेश दिया जावे। फलतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नैष्कर्मिकी आवेदन स्वीकार किया जाकर लक्ष्मीवारा गाँव को इमिशनर नियुक्त किया जा रहा है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी मू. अधिकारी/निरीक्षक से प्रार्थी के व्यावसायिक क्षेत्रों की पक्की नैष्कर्मिकी मोड़ पर शुल्क जमा कराकर इसे पाठना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली दें, पत्रावली में शुमार डी. डी. नम्बर के उम दें, दायित्व दस्ता दें।



सहायक कलेक्टर (SDO)
बायल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 436
राजस्व आवेदन संख्या - 65/18

दिनांक:- 28/03/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री पूराराम पुत्र जोराराम वगैरा 2 जाति जाट निवासी जाखड़ा तह. गिड़ा जिला बाड़मेर		1. श्री जेहाराम पुत्र मेघाराम वगैरा 25 जाति जाट निवासी मदों की ढाणी, रतेउ तह. गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा मदों की ढाणी पटवार हल्का रतेउ के खेत खसरा नम्बर 663, 939/663, 664, 941/664 रकबा क्रमशः 22.10, 00.04, 52.00, 00.02 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता



(सहायक कलेक्टर (SDC)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
दिनांक 28/03/2018

क्रमांक / वाद / 2018 / 437 to 441
बायतु तिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का रतेउ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री पूराराम पुत्र जोराराम वगैरा 2।
4. विप्रार्थीगण श्री जेहाराम पुत्र मेघाराम वगैरा 25।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

(सहायक कलेक्टर (SDC)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु